

293


29

राजस्थान सरकार
पर्यावरण विभाग

सं 30 एफ 5/5/74 पर्या/74

जयपुर, दिनांक :- 25.9.85

अधिसूचना



बन्धु सीमा सुरक्षा अधिनियम 1972 [1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53] की उपधारा [1] धारा 10 के उपबन्धों के अन्तर्गत राजस्थान सरकार बन्धु जीवों के अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए एक द्वाारा, निम्न अनुसूची में वर्णित सीमाओं के अन्तर्गत आने वाली भूमि को अध्याखण्य घोषित करता है, जिसे भाष्य में गलत अध्याखण्य के नाम से जाना जावेगा, अर्थात्

अनुसूची

- उत्तरी सीमा:- गजनेर कोलायत राष्ट्रीय मार्ग 15 शुरू, जारी, मोटापला वीगापुरा, मोडिया मानसर एवं कोडमदेनर ग्राम की सीमा ।
- पश्चिमी सीमा:- गोलरी, हन्दोका थाला, फिशन सिंड टाणी एवं चाणी गाँव की सीमा ।
- दक्षिणी सीमा:- गजनेर कोलायत रेलवे लाईन, चाण्डानर गाँव की सीमा ।
- पूर्वी सीमा:- गजनेर गाँव, महेत वीर बाग, गजनेर कोडमदेनर पक्की नहर ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(Signature)

एस 0 के 0 वर्ग
उप शासन अधिकारी ।

प्रतिलिपि उपनार्थ एवं बाह्यक कार्यवाही हेतु गिम्नाफिल को:-

- 1- अधिकारी, राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर ।
- 2- अधिकारी, मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर ।
- 3- उपसहाय निजी अधिकारी, मंत्री/उप मंत्री, राजस्थान जयपुर ।
- 4- निजी अधिकारी, मुख्य अधिकारी, राजस्थान, जयपुर ।